A.S. (P.G.) College, Mawana (Meerut)

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध

E-mail : aspgmawana@gmail.com, Website : www.aspgmawana.org

Date : 07-09-2020

आवश्यक दिशा निर्देश

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के निर्देशानुसार दिनांक 08 सितम्बर 2020 से परम्परागत सम सेमेसटर परीक्षा जून–2020 (केवल अन्तिम सेमेस्टर) का संचालन किया जायेगा। परीक्षा दो पालियों में संचालित की जायेगी। प्रथम पाली का समय प्रातः 08 बजे से प्रातः 10 बजे तक व द्वितीय पाली का समय प्रातः 11:30 बजे से अपराहन 01:30 बजे तक होगा। कोविड–19 के दृष्टिगत परीक्षार्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है–

1. **सभी परीक्षार्थियों को मास्क/ग्लबस पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क/ग्लबस के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नही करने दिया जायेगा।**
2. **सभी परीक्षार्थी अनिवार्य रुप से सामाजिक दूरी का पालन करेगे। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हेतु अलग–अलग प्रवेश द्वार का प्रयोग करेंगे। छात्र महाविद्यालय मुख्य द्वार से प्रवेश करेगे। छात्रायें बिशम्बर सहाय द्वार (एल0आई0सी0 के सामने) से प्रवेश करेगी।**
3. **परीक्षार्थी प्रवेश के उपरान्त महाविद्यालय में लगे नल से हाथ धोकर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेगे।**
4. **सभी परीक्षार्थी अनिवार्य रुप से अपना स्वयं का सैनिटाईजर साथ लाये।**
5. **परीक्षा के लिये आवश्यक सामग्री (प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, पैन, पेन्सिल आदि) हेतु पारदर्शी किट का उपयोग करे। उक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री व अन्य किट के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश निषेध होगा।**
6. **संस्थागत परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त महाविद्यालय आई कार्ड/अन्य फोटो पहचान पत्र मूल रुप में होना अनिवार्य है।**
7. **व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविन्ग लाईसेन्स आदि) मूल रुप में होना अनिवार्य है।**
8. **कोई भी परीक्षार्थी के परीक्षा के दौरान महाविद्यालय परिसर में बैग, मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच आदि न साथ लाये यदि किसी परीक्षार्थी पर उक्त में कोई भी सामग्री पायी जाती है तो उसका प्रवेश निषेध होगा।**
9. **किसी भी परीक्षार्थी के वाहन का महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है। अपने वाहनों की स्वयं सुरक्षा करें। महाविद्यालय प्रशासन इसके लिये उत्तरदायी नही होगा।**

आज्ञा से

प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक